

FORM NO - 111

फर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

फैसल
14
19.1.2021

प्रार्थी/परिवादी

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि.
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि.
सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

धर्मसिंह पुत्र भुजा सिंह, जाति-जट सिक्ख
निवासी-मेगा हाईवे सिरोही-मण्डार,
ग्राम वरमाण, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म: पटियाला ढाबा, वरमान, मेगा हाईवे
सिरोही-मण्डार, तह.रेवदर, जिला-सिरोही

किस्म मुकदमा - धारा 26(2)(ii) एवं 51

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्या: 10/2021


तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमे जारी हुए
19.1.2021	<p>श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त धर्मसिंह के विरुद्ध आज दिनांक 18.1.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्रकरण में आज दिनांक 19.1.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी धर्मसिंह पुत्र श्री भुजा सिंह, जाति- जट सिक्ख, निवासी- मेगा हाईवे सिरोही-मण्डार, ग्राम वरमाण, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, पटियाला ढाबा, वरमाण, मेगा हाईवे सिरोही-मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही उपस्थित हुये। प्रतिवादी धर्मसिंह को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी धर्मसिंह ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 27.8.2020 को जिस दही का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। यह कि जिस दही का नमूना जांच हेतु लिया था, वह मैंने सरस दूध से बनाया था। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। मैंने अब सरस</p> <p>.....लगातार</p>	






19.1.21



मात. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 10 /2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए
	<p>गोल्ड दूध से दही बनाना शुरू किया है। मैं एक छोटा ढाबा चलाता हूँ, मुश्किल से गुजर बसर कर रहा हूँ। मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, भविष्य में दुबारा गलती नहीं करूंगा। कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।</p> <p>प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक दही का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।</p> <p>उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 27.8.2020 को समय 12.15 पी.एम. पर फर्म पटियाला ढाबा, वरमाण, मेगा हाईवे सिरौही-मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी धर्मसिंह पुत्र भुजा सिंह, जाति- जट सिक्ख, निवासी- मेगा हाईवे सिरौही-मण्डार, ग्राम वरमाण, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ दही बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म पटियाला ढाबा के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ दही के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए ढाबे के अन्दर फ्रिज में एक भिगोनें में रखे हुए खाद्य पदार्थ दही लगभग 5 किलोग्राम को एक चम्मच से अच्छी तरह हिला मिलाकर एकरूप किया व इस एकरूप किये हुए खाद्य पदार्थ दही में 800 ग्राम दही को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ दही के नमूना संख्या S-1161 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./397/Act/2020/397 दिनांक 03.9.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी धर्मसिंह द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	


 प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
 सिरौही-307001.

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 10 /2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए
	<p> अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी धर्मसिंह पुत्र भुजा सिंह, जाति- जट सिक्ख, निवासी- मेगा हाईवे सिरोही-मण्डार, ग्राम वरमाण, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, पटियाला ढाबा, वरमाण, मेगा हाईवे सिरोही-मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी धर्मसिंह को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.2.2021 को पेश हो। </p> <p style="text-align: right;">  (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही </p>	